राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

15 OCT 2019

क्रमांक प.22(4)न्याय/2007 जयपुर, दिनांक

::आज्ञा::

श्री नरेन्द्र श्याम नवल, तत्कालीन कनिष्ठ विधि अधिकारी हाल सहायक विधि परामर्शी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–16 के अन्तर्गत ज्ञापन क्रमांक प.22(4)न्याय/2007 दिनांक 04.10.2007 द्वारा आरोप पत्र/आरोप विवरण–पत्र को एडोप्ट कर कार्मिक (क–3) विभाग द्वारा आदेश क्रमांक प.1(250)कार्मिक/क–3/2015 दिनांक 19.02.2016 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गई। कार्मिक (क–3) विभाग ने अपने आदेश क्रमांक प.1(250)कार्मिक/क–3/2015 दिनांक 18.06.2019 द्वारा श्री नरेन्द्र श्याम नवल, तत्कालीन कनिष्ठ विधि अधिकारी हाल सहायक विधि परामर्शी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने के फलस्वरूप अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त करने के आदेश जारी किए है।

कार्मिक (क–3) विभाग द्वारा अपने पत्र क्रमांक प.1(250)कार्मिक/क–3/2015 दिनांक 24.09.2019 द्वारा यह निर्देश दिए है कि श्री नवल की निलम्बन अवधि को समस्त प्रयोजनार्थ सेवाकाल माने जाने एवं निलम्बन काल के वेतन भत्ते के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करें।

श्री नरेन्द्र श्याम नवल, तत्कालीन कनिष्ठ विधि अधिकारी को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनाक 26.09.2007 से तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया था तथा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनाक 04.10.2007 से तत्काल प्रभाव से निलम्बन से बहाल किया गया।

श्री नवल के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही को कार्मिक (क–3) विभाग के आदेश दिनांक 18.06.2019 द्वारा समाप्त कर दी गई है। अतः श्री नवल की दिनांक 26.09.2007 से दिनांक 04.10.2007 की निलम्बन अवधि को समस्त प्रयोजनार्थ नियमित सेवाकाल माने जाने एवं निलम्बन काल के वेतन भत्ते नियमानुसार देने तथा निलम्बन काल में जो भुगतान किया गया है, उसे समायोजित कर नियमानुसार नियमित किये जाने के आदेश एतद्द्वारा प्रदान किये जाते है।

आज्ञा से

15-10-19

(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–3) विभाग को उनके आदेश क्रमांक प.1(250)कार्मिक/ क–3/2015 दिनांक 24.06.2019 के क्रम में।
2. जिला कलक्टर, कार्यालय पाली।
3. निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर।
4. संबंधित कार्मिक/रक्षित पत्रावली।

15-10-19

संयुक्त शासन सचिव

D:\VINOD 2015\VINOD BAIRWA\ORDER-2018.docx